

छत्तीसगढ़ राज्य की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध अकादमिक एवं भौतिक सुविधाओं के विषय में उनके शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रत्यक्ष बोध का अध्ययन

सारांश

शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इन लक्ष्यों की पूर्ति में संसाधनों की पूर्ति का दायित्व न्यूपा एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली का रहा है। राज्य स्तर पर यह दायित्व SCERT निभाते हैं तथा जिले स्तर पर यह दायित्व एवं प्रशिक्षण का दायित्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट्स) को दिया गया है।

जिनका लक्ष्य दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारम्भिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का है। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष राज्य की डाईट्स की समोन्नति की योजना बनाने तथा उन्हें कारगर बनाने हेतु तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कर सकेंगे।

मुख्य शब्द : प्रारम्भिक शालाएं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

प्रस्तावना

भारत में केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय साक्षरता संबंधी कार्यनीतियों को जमीनी स्तर पर अकादमिक सहयोग देने और संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1987 से देश के प्रत्येक राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। इस प्रकार दो दषकों से अधिक समय से संचालित इन संस्थानों के ध्येय (mission), न्यूपा एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली भावी दृष्टि (vision) तथा लक्ष्य (goal) संबंधी प्रगति के आंकलन का उपयुक्त समय अब आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूपा एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली द्वारा इस दिशा में प्रयास भी किये गए हैं।

नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया, देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी प्रत्येक जिले में एक डाईट की दर से डाईट्स स्थापना का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया गया है, इन्हे दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारम्भिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

इस प्रसंग में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सार्थक है कि नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य अपने यहाँ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट्स) के गठन व संचालन में विशेष सजगता बरते और देश के अन्य राज्यों की डाईट्स की कार्यप्रणाली की सकारात्मकता एवं नकारात्मकता को जानकर यहाँ की डाईट्स को उद्देश्यपरक बनायें। इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि अपनी राज्य सरकार यहाँ की डाईट्स में सुयोग्य व जागरूक शिक्षक – प्रशिक्षक नियुक्त करें जो संस्थान को अधिक उद्देश्यपरक बना सके। यह किस सीमा तक हो सका है? इसका पता लगाने, राज्य की वर्तमान डाईट्स में कार्यरत शिक्षक – प्रशिक्षकों के अपनी डाईट्स के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष बोध मापने, के उद्देश्य से यह शोधकार्य लिया गया है, जो अत्यन्त प्रासंगिक है। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष राज्य की डाईट्स की समोन्नति की योजना बनाने तथा उन्हें कारगर बनाने हेतु तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कर सकेंगे।

साहित्यावलोकन

ऐसे कुछ प्रमुख शोध निष्कर्षों का उल्लेख संदर्भ हेतु निम्नानुसार दिया गया है— प्रोफेसर क.पी. पाण्डेय ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि अध्यापक – शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर गठित डाईट एवं माध्यमिक स्तर पर गठित शिक्षक महाविद्यालय एवं उच्च अध्ययन संस्थानों के अस्तित्व में आ जाने के बाद भी सेवापूर्व प्रशिक्षण में अपेक्षित गुणवत्ता का आयाम नहीं जुड़ सका

In.....

है। यदि इनके पाठ्यक्रमों, अध्यापक शिक्षा के लिए नियुक्त शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रमुख मानकों – कुशलता, प्रतिबद्धता, उपलब्धि एवं उत्कृश्टता का अनुप्रयोग कठोरतापूर्वक किया जाए तो लगभग 5 प्रतिष्ठत संस्थायें भी खरी नहीं उतर पायेंगी। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश के कतिपय डाईट्स के सर्वेक्षण से दीपा कृष्ण एवं सरोज आनन्द (अन्वेशिका, अंक 3-2, दिसम्बर 2006, पृष्ठ 75-80) ने ऐसा ही अध्ययन करके अभिमत दिया है कि संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं की कमी है, पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी, प्रयोगशालाओं की कमी, उच्च वैज्ञिक योग्यता वाले शिक्षक – प्रशिक्षकों की कमी है। इस प्रकार राज्य के डाईट्स उस लक्ष्य की पूर्ति से काफी दूर हैं जिसके लिये इनकी स्थापना की गयी थी।

प्रोफेसर चन्द्रशेखर (2007) ने आन्ध्रप्रदेश के डाईट्स के व्याख्याता- प्रशिक्षकों के प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राज्य के डाईट्स संसाधनों से सुसज्जित नहीं हैं और उनमें संसाधनों की कमी है।

डॉ एस. मुखोपाध्याय, प्रेमिला मेनन तथा बी.के. पण्डा ने संस्थागत मूल्यांकन (1992) के अन्तर्गत हरियाणा की कतिपय चुनी हुई डाईट्स का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार रहे – अध्ययनान्तर्गत हरियाणा के डाईट्स में आधारभूत संरचना, सिविल वर्क्स, छात्रावास, आदि की सुविधा पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। डाईट्स में प्रयोगशाला बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। कम्प्यूटर उपकरणों का उपयोग यथोचित नहीं पाया गया। हरियाणा सरकार को यह सोचना होगा कि डाईट्स से प्रशिक्षण + 2 स्तर की योग्यताधारी शिक्षक कक्षा आठवीं में पढ़ाने हेतु कहाँ तक उपयुक्त हो सकते हैं? शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का डाईट्स के अकादमिक तथा प्रशासकीय समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। मात्र वित्तीय सहायता देने से डाईट्स को प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता।

रंसूल, जी., कौल लोकेष, तथा के. वर्मा (1989) ने जम्मू तथा कश्मीर की डाईट्स का मूल्यांकन करते हुए सुझाव दिया है कि डाईट्स को स्वतंत्र तथा स्वशासी होना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि जिला शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक परामर्शदात्री समिति बनायी जानी चाहिए जो डाईट्स के संचालन हेतु दिशा-निर्देश दे।

उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर में डाईट्स के उपरोक्तानुसार मूल्यांकन अध्ययन निष्कर्षों से स्पष्ट है कि इन राज्यों में डाईट्स अपेक्षानुकूल प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील नहीं है और उनके सही संचालन हेतु राज्य हेतु सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार को आगे आना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. राज्य की डाईट्स में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अध्ययन करना।
2. राज्य की डाईट्स में उपलब्ध अकादमिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

3. राज्य की डाईट्स में संचालित पाठ्यक्रम का अवलोकन करना।

शोध परिकल्पना

H₁

राज्य की डाईट्स की भौतिक सुविधाओं के विषय में शिक्षक- प्रशिक्षकों का प्रत्यक्ष बोध सकारात्मक नहीं है।

H₂

राज्य की डाईट्स की अकादमिक सुविधाओं के विषय में शिक्षक -प्रशिक्षकों का प्रत्यक्ष बोध सकारात्मक नहीं है।

H₃

डाईट्स में संचालित पाठ्यक्रम पर शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रत्यक्ष बोध सकारात्मक नहीं है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक अध्ययन है जिसमें सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

न्यार्दर्श

प्रस्तुत अध्ययन में जिला प्रशिक्षण संस्थाओं के 141 उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षक प्रशिक्षकों के अभिमत को जानने हेतु NCERT, New Delhi के प्रोफेसर के चन्द्रशेखर (2007) द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष बोध मापनी का उपयोग किया गया है। मापनी के मूल निर्माता की अनुमति से इस प्रत्यक्ष बोध मापनी को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में उपयोग हेतु हिन्दी में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुवादित किया गया है तथा उसे नियमानुसार अनुकूलित किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध – अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष शिक्षक - प्रशिक्षकों की सार्थक सहमति के आधार पर निकाले गए हैं। सार्थक सहमति से अभिप्राय महत्तम सीमा व औसत सीमा की संयुक्त सहमति से है। उत्तरदाताओं की महत्तम सहमति व औसत सहमति को मिलाकर मापनी के विभिन्न आयामों पर नियमानुसार निष्कर्ष निकाले गये हैं—

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के निष्कर्ष

1. राज्य की अधिकांश शासकीय डाईट्स में भवन, कक्ष, छात्रावास एवं प्रयोगशालायें हैं। सेमीनार कक्ष भी हैं परन्तु सेमीनार कक्ष एवं छात्रावासों में उपयुक्त फर्नीचर नहीं हैं।
2. प्रौद्योगिकी, जीव-विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र की प्रयोगशालाओं में अधुनातन एवं पर्याप्त उपकरण नहीं हैं।
3. डाईट्स के परिसर साफ-सुथरे, हरे भरे तथा सुन्दर हैं परन्तु उनका रख-रखाव सन्तोशप्रद नहीं है।
4. अधिकांश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में न खेलकूद का मैदान है और न तो पर्याप्त खेल-कूद सामग्री है।
5. पुस्तकालयों में संदर्भ पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, शिक्षक-आयोग के प्रतिवेदन, चार्ट्स एवं नक्षों का

In.....

- नितान्त अभाव है और पुस्तकालयों के साथ सम्बद्ध रीडिंग रूम और उनमें पर्याप्त फर्नीचर नहीं हैं।
6. अधिकांश डाइट्स के ग्रन्थालयों में हवादार वेन्टीलेशन नहीं बने हैं।
 7. सायंकाल में संस्थान के समय से अतिरिक्त समय में पुस्तकालय नहीं खुलते इससे छात्राध्यापक अतिरिक्त समय में ग्रन्थालय का लाभ नहीं उठा पाते।
 8. छात्रावासों में उपयुक्त भवन, उपर्युक्त एवं पर्याप्त फर्नीचर तथा स्टॉफ का अभाव है।
 9. प्रायः सभी डाइट्स में विद्युत व्यवस्था है, उपर्युक्त पेयजल व्यवस्था है परन्तु उपर्युक्त जल-व्यवस्था होने के प्रति उत्तरदाता अस्पष्ट हैं।

अकादमिक सुविधायें एवं कार्य के निष्कर्ष

1. कक्षागत अन्तक्रियाओं, बसेंतवत्त एवं पदजमतंबजपवद्ध में मल्टीमीडिया के उपयोग से बेहतर समझ विकसित होती है।
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन कक्षाओं तथा ब्लाक-टीचिंग में अध्यापन-अभ्यास कक्षाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होती। इनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
3. शालेय स्तर सभी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. कक्षागत अध्ययन-अध्यापन में मल्टीमीडिया का उपयोग होना चाहिए।
5. पाठ योजनाओं की जाँच एवं उनका अनुमोदन सही ढंग से होना चाहिए।
6. छात्राध्यापक अध्ययन-अभ्यास कक्षाओं में कठिन प्रकरणों को पढ़ाने से कतराते हैं। वे आवश्यकतानुसार विषय-सहायक सामग्री का उपयोग सही ढंग से नहीं करते।
7. मॉडल स्कूलों में छात्राध्यापकों से अध्यापन-अभ्यास कराना चाहिए ताकि उनके अध्यापन कौशलों में सुधार लाया जा सके।

पाठ्यक्रम के निष्कर्ष

1. वर्तमान प्राइमरी स्कूल टीचर एजुकेशन का प्रचलित पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता और उसके पुररूप्तान की आवश्यकता है।

2. अधिकांश उत्तरदाताओं ने संस्थान में अधिगम-अध्यापन सामग्री होने को स्वीकारा है।
3. संस्थान में प्रायः स्वास्थ्य एवं नैतिक शिक्षा पर अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान होते रहते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चन्द्रशेखर, के (2000) – एन इवैल्यूटिव स्टडी आफ प्रायमरी स्कूल एजूकेशन प्राग्राम इन आंध्रप्रदेश पी-एच.डी. थिसिस, एजूकेशन श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति
2. चन्द्रशेखर, के (2007) “टीचर एजूकेशन पर्सनल्स आफ डाइट्स फेसोलिटिज एंड वीयर व रिलेषन्स टू सरटेन्सपसनल एंड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स पर्सपेटिव्स इन एजूकेशन हरीनगर रेसकोर्स बड़ौदा, वाल्यूम 23 (2), अप्रैल 2007 पृष्ठ: 92–104
3. दास, आर.सी.एण्ड जंगीरा, एन.के (2004) ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर एजूकेशन थर्ड सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन नईदिल्ली एन.सी.ई.आर.टी. पृष्ठ 782–789
4. डेलस, जे.एट.आल (1996) क्वालिटि टीचर्स, लर्निंग: दी ट्रेजर विदिन रिपोर्ट दु यूनेस्को आफ दी इंटरनेषनल कमीषन आन एजूकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी पृष्ठ 146 पेरिस, यूनेस्को, कोटेड इन दी इडियंस जनरल फार टीचर एजूकेशन एन.सी.ई.टी. नई दिल्ली वाल्यूम 1 (1), अगस्त 1998
5. दीपा कृष्ण एड सरोज आनंद (2006) ‘गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका ‘अन्वेशिका 3 (2) दिसम्बर 2006, पृष्ठ 75 से 80
6. गायत्री, ए. (1996) एन इनवस्टीगेशन इन्ट परसेप्सन आफ स्टूडेन्ट टीचर्स आन देयर टीचर ट्रेनिंग, अनपब्लिस्ड एम.एड डिजस्टेशन एस.व्ही विष्वविद्यालय, तिरुपति
7. सर्वशिक्षा अभियान (2008) एम.एच.आर.टी. नई दिल्ली
8. एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (2008) प्रस्तावित शालेय शिक्षा नीति
9. सिंह ए.के. (2004) – मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियों बनारसीदास, नई दिल्ली